

उडाय भ्राता, (मूल प्राप्ति संख्या १८२५
साप्तं दिवाली दिवाली)



उत्तराखण्ड

"प्रस्तुप 26"

13AA 965178

(नियम 4 का देखिए)

14- धनोली
निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड विधान सभा के लिये निर्वाचन के
लिये, रिहाई के दौरान सरकार के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र।

शपथ-पत्र

मेरे ज्ञोति सिंह विठ्ठल पुत्र श्री स्वरूप तिलै विकट
आयु- ५७ वर्ष, जो ग्राम- धरबालगांव, पट्टी- गुरुसाई,
तहसील- टिहरी, जिला- टिहरी, धनोली का निवासी हूँ, का निवासी हूँ
और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ सत्त्वगिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ शपथ पर
निम्नलिखित कथन करता हूँ:-

- 1- मैं ऐसे किसी लघित मामले में दो पर्याय या अधिक के कारावास से दण्डनीय
विरोधी अपराध (अपराधों) का अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले
न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया है/ किए गये हैं-
(यदि अग्रिमाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का अभियुक्त है, तो वह
निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :
- i- मामला, पथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं- 04 सन् २००४.
- ii- जिला- टिहरी, न्यू टिहरी, जिला- टिहरी-गढ़बाल राज्य- उत्तराखण्ड,

(चोकी जाइखाल)

क्रमांक-2-पर

Attached Photo Copy

Prem Singh Bisht
Advocate/Notary
Dhanoli/New Tehri
Tehri Garhwal
R.N. 07/08/2005

-2-

- iii— सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारायें) और उस अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अन्यर्थी आरोपित किया गया है— 14^व, 323^व, 325^व, 326^व, आदीप्रदृष्ट संहिता,
- iv— न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विवरण की गई— श्रुत्यः आदिक प्रति चिह्नी शाहबाल,
- v— तारीख (तारीखों) जिनको आरोप विवरित किया गया था/ किए गये थे— 04. 02. 2010
- vi— क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है— जी नहीं,
- 2— मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम—1951) (1951 का 43) की धारा—8 की उपधारा (1) या उप धारा (2) में निर्दिष्ट या उप धारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है, और इस वर्ष या अधिक के लिये कारावास से दण्डादिष्ट नहीं किया गया है। (यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :
- i— मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं— नहीं नहीं,
- ii— न्यायालय, जिसने दण्डित किया है— नहीं नहीं
- iii— पुलिस थाना (थाने)— नहीं नहीं, जिला (जिलों)— नहीं नहीं राज्य— नहीं नहीं,
- iv— सम्बन्धित अंधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारायें) और उस अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अन्यर्थी आरोपित किया गया है— नहीं नहीं
- v— तारीख (तारीखों) जिनको आरोप दण्डादेश सुनाया गया था/ सुनाए गये थे— नहीं नहीं
- vi— क्या दण्डादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/ रोके गये हैं— नहीं नहीं

स्थान— नई टिहरी।
तारीख— 11.01.2012

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता हूँ कि इस शपथ पत्र के अन्तर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है, और कोई तात्त्विक बात छिपाई नहीं गई है।

स्थान नई टिहरी, दिनांक— 11.01.2012 को सत्यापित किया।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

Solemnly affirmed by Deponent
Shri Prem Singh Bisht, C.A.
B/o _____, P.O. _____, Dist. _____
Date: 11.01.2012 AM

11/1/11

PREM SINGH BISHT
Advocate
Notary Dhanolti
Tehri Garhwal

Prem Singh Bisht
Advocate/Notary
Dhanolti/New Tehri
Tehri Garhwal
R.N. 07/08/2005